कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

दिनांकः— / /2016

क्रमांकः—भू.अ. / 2016 /

प्रेषिति,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री सामंत सिंह पिता मानसिंह नि. कथारिया चोराहे का प.ह. सतपुरा के राजस्व ग्राम कथारिया में जमाबन्दी संवत 2078-2081 की खाता संख्या 106, 107, 108 में जाति / नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति / नाम सामंत सिंह किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति / नाम सामंत सिंह का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है / दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नही होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

Rohit

तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांकः—रीडर / 2025 / 800 दिनांकः 16 / 10 / 2025

निमित्त,

पटवार हल्का सतपुरा

विषयः—सम्मानजनक जाति / नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना—पत्र प्रार्थी / प्रार्थीयान के अनुसार श्री सामंत सिंह पिता मानसिंह राजस्व ग्राम कथारिया चोराहे प.ह. सतपुरा की खाता संख्या 106, 107, 108 में जाति / नाम श्याम सिंह दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति / नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंषा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री सामंत सिंह पिता मानसिंह की जाति / नाम सामंत सिंह एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज करने की स्वीकृत एतद द्वारा दी जाती है। प.ह. सतपुरा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपिः—तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ